

आदेश ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या : 494/2025 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लिमिटेड शाखा कार्यालय जयपुर स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग, ब्लॉक नम्बर 4, जे.एल.
एन. मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. प्रिंस सोनी

पता :- प्लेट नम्बर 715, प्लॉट नम्बर सी-2, ब्लॉक-1, सवाई जय सिंह हाईवे, जयपुर।

एवं प्लेट नम्बर 715, सप्तम तल, ब्लॉक-1, प्लॉट नम्बर सी-2, अथेना अपार्टमेन्ट, सवाई जय सिंह हाईवे,
बनीपार्क, जयपुर।

एवं 4101, मैन रोड, जवाहर चौक, डीनकनल, उडिसा।

एवं प्लेट नम्बर 815, अष्टम तल, ब्लॉक-1, प्लॉट नम्बर सी-2, अथेना अपार्टमेन्ट, सवाई जय सिंह हाईवे,
बनीपार्क, जयपुर।

2. सुशीला सोनी

प्लेट नम्बर 715, सप्तम तल, ब्लॉक-1, प्लॉट नम्बर सी-2, अथेना अपार्टमेन्ट, सवाई जय सिंह हाईवे,
बनीपार्क, जयपुर।

एवं प्लेट नम्बर 815, अष्टम तल, ब्लॉक-1, प्लॉट नम्बर सी-2, अथेना अपार्टमेन्ट, सवाई जय सिंह हाईवे,
बनीपार्क, जयपुर।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of
Security Interest Act, 2002.

श्री विरेन्द्र सिंह शेखावत अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 04.09.2025

- संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री प्रिंस सोनी के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर सी-2, सवाई जयसिंह हाईवे, बनीपार्क जयपुर पर स्थित अथेना के अष्टम तल पर स्थित प्लेट नम्बर 815 क्षेत्रफल 104.96 वर्गफीट एवं सी-2, सवाई जयसिंह हाईवे, बनीपार्क जयपुर पर स्थित अथेना के सप्तम तल पर स्थित प्लेट नम्बर 715 क्षेत्रफल 813.63 वर्गफीट को बन्धक रख कर दिनांक 17.02.2022 को राशि 50,00,000/-रुपये एवं राशि 15,00,000/-रुपये कुल 65,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 27.03.2025 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।
- प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

